

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,

जिला ग्वालियर *10/07-2016 I-16*

प्र. क्र. निगरानी / 1/1/2016

*श्रीमती सगुन कुशवाहा पत्नी चूरामन कुशवाहा
निवासी ग्राम ललौनी तहसील जिला छतरपुर
प्रार्थी*

प्रस्तुत

14/07/16

श्रीमती सगुन कुशवाहा पत्नी चूरामन कुशवाहा
निवासी ग्राम ललौनी तहसील जिला छतरपुर
प्रार्थी

बनाम

प्राची गुप्ता पुत्री श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी
ग्राम ललौनी हाल निवासी इन्द्राकांपलेक्स
बिदिशा म0प्र0द्वारा मुख्यारेआम चूरामन पुत्र
श्री दक्ष कुशवाह निवासी ग्राम ललौनी
तहसील व जिला छतरपुरप्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय माननीय
तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रकरण कमांक 184 / 2015-16
अ-6 मे पारित आदेश दिनांकी 30.06.2016 के निर्णय के विरुद्ध
निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1-

यह कि, प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से उनके स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम ललौनी में स्थित सर्वे कमांक 66 रकवा 0.863 हे० भूमि को रजिविक्य पत्र कमांक-ए/5990 / दिनांक 06.02.2013 के द्वारा कय करने के पश्चात उक्त भूमि पर नामांकरण कराए जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत इश्तहार जारी किया गया और कोई आपत्ति नही आई तथा आवेदकगणों को सूचना पत्र जारी किया गया वह भी उपस्थित नही हुये प्रार्थी द्वारा विक्य-पत्र के साक्षियों के कथन न्यायालय में प्रस्तुत किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाया और उक्त प्रतिवेदन मे भी ग्राम पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर नामांतरण किये जाने के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों के हक में रजिविक्य पत्र के आधार पर प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने के बावजूद भी उनके द्वारा केवल इस आधार पर कि आवेदक द्वारा वर्ष 58 –59 की खसरा व खतौनी की नकल प्रस्तुत नही की है इसलिए प्रार्थी का नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है प्रार्थी उक्त आदेश से दुखी होकर

कमशा.....2

RJ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3136-एक / 2016

सगुन

विरुद्ध

जिला छतरपुर
प्राची

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकर्ता एवं
अभिभाषकों आदि के
हस्ताक्षर

१५-९-२०१६

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 184/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दास्तावेजों एवं आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 06-2-2013 को प्रश्नाधीन भूमि क्य करने के उपरांत तहसीलदार छतरपुर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 184/अ-6/2015-16 पंजीबद्ध करने के उपरांत आदेश दिनांक 30-6-2016 को नामांतरण आवेदन निरस्त किया। अपितु यह सही है कि तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, किन्तु चूंकि तहसीलदार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर अवैधानिक कार्यवाही की गई है इसलिए संहिता की धारा 8 मण्डल की अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस निगरानी का निराकरण किया जा रहा है।

इस संबंध में 1986 रा.नि. 1 सौदान सिंह विरुद्ध म0प्र0राज्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत

PN

JM

प्रतिपादित किया गया है—

“अधिकारिता विषयक त्रुटि को पर्यवेक्षण या उधीक्षण शक्ति के अधीक्षण रेवेन्यू बोर्ड ठीक कर सकता है।”


1995 रा.नि. 377 दीता विरुद्ध छोटिया में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

“अधीक्षण या पर्यवेक्षण शक्ति— जहाँ अवैधता, अनियमितता या प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई हो और न्याय देने से इन्कार किया गया हो वहाँ उस मामले में ऐसी शक्ति धारा 8 के अधीन प्रयोग की जा सकती है।”

प्रकरण में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनोदिका से प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र कराने के उपरांत तहसीलदार के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने इश्तहाकर प्रकाश कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मांगा जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 5-1-2016 को प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होने, विक्रय से प्रतिबंधित, मंदिर, आदिवासी, ढूबक्षेत्र, कोटवार भूमि नहीं होने एवं उक्त भूमि के संबंध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं होने तथा आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने हेतु संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई थी, परन्तु तहसीलदार ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक द्वारा वर्ष 1958-59 की खसरा/खतौनी की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त भूमि वर्ष 1958-59 में शासकीय होने से नामांतरण योग्य नहीं पाया। चूंकि हल्का पटवारी द्वारा

वर्ष 1958-59 की खसरा/खतौनी के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी लेख नहीं किया था इसके बावजूद भी तहसीलदार ने यह तथ्य अंकित कर केवल इसी आधार नामांतरण निरस्त करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की है। तहसीलदार रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर इश्तहार प्रकाशन, पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर, साक्ष्य आदि लेने के उपरांत मनमाने तौर पर वर्ष 1958-59 के खसरो की प्रति उपलब्ध नहीं होने का आधार लेकर नामांतरण आदेवन निरस्त करने में विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्य पत्र के द्वारा भूमि विक्य करने से केता को भूमि का स्वत्व प्राप्त हो जाता है और रजिस्टर्ड विक्य पत्र को गलत/शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर व्यवहार न्यायालय को है। तहसीलदार को रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर नामांतरण किया जाना न्यायोचित है। नामांतरण करने से उक्त संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं होते, बल्कि नामांतरण राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने की प्रक्रिया है।

4/ उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार छत्तरपुर का विचाराधीन आदेश दिनांक 30-6-2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।



(एम.के.सिंह)
सदस्य

